तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 7995/ 2006 / अलवर** **राजस्थान सरकार बनाम पेमा (कजोड) वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक ।
श्री अयूब खां अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1
श्री जगदम्बा प्रसाद, अभिभाषक अप्रार्थी सं.–2 से 10

——

आदेश

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 निदेशक (भू0अ0) राजस्व मंडल राज0 अजमेर ने अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 14–8–2000 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भू प्रबंध अधिकारी अलवर ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र न्यायालय भू प्रबंध आयुक्त जयपुर को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा फिरोजपुर जागीर तहसील राजगढ के गत खसरा नंबर 171 जिसके हाल खसरा नंबर 356/73 बने है, नारायण पुत्र मांग्या, भौरा पुत्र काना, रामपाल पुत्र छोटक्या मारफत पेमा पुत्र सरूपा मीणा की खातेदारी में दर्ज थे। अप्रार्थी कजोडराम ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी राजगढ के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर पिछले 17 वर्ष से प्रार्थी का कब्जाकाश्त है मगर विभाग द्वारा पर्चा नारायण पुत्र मांग्या, भौरा पुत्र काना, रामपाल पुत्र छोटक्या मीणा के नाम जारी किया है जबकि इनका कब्जा नहीं है। अतः नारायण वगैरह का नाम खारिज कर पर्चा दिलाया जावे। न्यायालय भू प्रबंध आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 12–9–94 द्वारा प्रकरण निदेशक (भू0अ0) राजस्व मंडल राज0 अजमेर को भेजा गया। निदेशक (भू0अ0) राजस्व मंडल राज0 अजमेर ने रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को ड्रोप कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रस्तुत किया गया है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 7995/ 2006 / अलवर** **राजस्थान सरकार बनाम पेमा (कजोड) वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार विवादित आराजी नारायण वगैरह की थी तथा अप्रार्थी शिकमी दर्ज थे। सहायक भू प्रबंध अधिकारी ने खातेदार नारायण वगैरह का नाम हटाकर अप्रार्थीगण का नाम दर्ज कर दिया। बंदोबस्त अधिकारियों का राजस्व रिकोर्ड में इंद्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि अप्रार्थीगण अपने आपको शिकमी मानते है तो उन्हें सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद लाना चाहिये। 17 साल से कब्जे का काई साक्ष्य नहीं है और न ही 17 साल के कब्जे के आधार पर खातेदारी दी जा सकती है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी बाबत् अप्रार्थी संख्या–1 के पक्ष में दर्ज खातेदारी निरस्त करवाने के आदेश प्रदान करावें। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1 ने बहस में कहा कि मामला दो निजी पक्षकारों के मध्य है। नारायण द्वारा सहायक भू प्रबंध अधिकारी के निर्णय के खिलाफ कोई अपील अथवा दावा नहीं किया है। विवादित आराजी में राजकीय हित निहित नहीं होने से निदेशक भू अभिलेख ने रेफरेंस सहीं ड्रोप किया है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 से 10 ने बहस में कहा कि प्रकरण में निजी पक्षकार होने के बावजूद रेफरेंस कार्यवाहीं की जा सकती है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया और अधनीस्थ न्यायालयों की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। भू प्रबंध अधिकारी अलवर ने हस्तगत् रेफरेंस प्रार्थना पत्र न्यायालय भू प्रबंध आयुक्त जयपुर को यह अंकित करते हुये प्रस्तुत किया कि मौजा फिरोजपुर जागीर तहसील राजगढ के गत खसरा नंबर 171	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 7995/ 2006 / अलवर** **राजस्थान सरकार बनाम पेमा (कजोड) वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसके हाल खसरा नंबर 356/73 बने है, नारायण पुत्र मांग्या, भौरा पुत्र काना, रामपाल पुत्र छोटक्या मारफत पेमा पुत्र सरूपा मीणा की खातेदारी में दर्ज थे। अप्रार्थी कजोडराम ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी राजगढ के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि पर पिछले 17 वर्ष से प्रार्थी का कब्जाकाश्त है मगर विभाग द्वारा पर्चा नारायण पुत्र मांग्या, भौरा पुत्र काना, रामपाल पुत्र छोटक्या मीणा के नाम जारी किया है जबकि इनका कब्जा नहीं है। अतः नारायण वगैरह का नाम खारिज कर पर्चा दिलाया जावे। न्यायालय भू प्रबंध आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 12–9–94 द्वारा प्रकरण निदेशक (भू0अ0) राजस्व मंडल राज0 अजमेर को भेजा गया। निदेशक (भू0अ0) राजस्व मंडल राज0 अजमेर ने रेफेरेंस प्रार्थनापत्र को ड्रोप कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रस्तुत किया गया है। हमारी सुचिवारित राय में हस्तगत् रेफरेंस प्रकरण निजी पक्षकारों के मध्य है तथा उप राजकीय अभिभाषक हमारे समक्ष यह साबित करने में असफल रहे है कि विवादित आराजी में राज्य सरकार का क्या हित निहित है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी बाबत कजोडराम और नारायण आदि के बीच विवाद है। 1987 RRD 532 में यह अभिनिर्धारित किया गया है किः– *"Board should entertain reference only in such matters in which **public policy or interest of State** is adversely affected. Reference on matters in dispute between parties for whom they have other remedies should not be entertained."* इसी प्रकार 1988 RRD 648 में भी यही व्यवस्था दी गयी है कि– *Reference to Board is an extraordinary remedy and should be resorted to in **cases involving public or State interest** as opposed to purely private interests. In making a reference, case should be taken to ensure that it does not become a means of providing an easier softer option to private parties as compared to normal channels of legal remedies. Section 82 is a special provision for undoing highly illegal or irregular decisions and should not be allowed to degenerate*	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 7995/ 2006 / अलवर** **राजस्थान सरकार बनाम पेमा (कजोड) वगैरह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

into an alternative forum for ventilation of grievance of private parties.

1993 RRD 378 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–

*Reference for cancellation of mutation- Dispute between private parties- **No Government interest or question of public policy involved**- Board would not interfere even if the attestation of mutation is apparently irregular.*

उपरोक्त तीनों न्यायिक दृष्टान्तों में निर्धारित सिद्धान्त के आधार पर हमारा मत है कि हस्तगत रेफेरेंस निजी पक्षकारारन के विवाद के प्रकरण में मण्डल को प्रेषित किया गया है, जो कि विचारणीय नहीं है। नारायण सक्षम न्यायालय में कार्यवाहीं करे। हमारा मत है कि धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम असाधारण प्रक्रिया है तथा असाधारण एंव विषम परिस्थितयों में ही धारा 9 में अंर्तनिहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। हस्तगत् रेफरेंस प्रकरण में ऐसी कोई विषम परिस्थिति नही है जिससे उक्त धारा मेंअंर्तनिहित शक्तियों का प्रयोग किया जावे।

उपरोक्त विवचेन के आधार पर इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि न्यायालय भू प्रबंध आयुक्त जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12–9–94 के माध्यम से प्रेषित हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। रेफेरेंस विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

परिणामतः हस्तगत रेफेरेंस खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
सदस्य